फर्द अहकाम

प्रकरण सं0

श्री.. बनाम श्री..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	3/6/25 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष ... पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त / अवकाश में है। उपरोक्त कालिक आदेश में ... को पेश हो। दिनांक 17/7/25 आदेश से रीडर	
	17/7/25 पत्रावली पेश हुयी। उभयपक्ष ... पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त / अवकाश में है। उपरोक्त कालिक आदेश में ... को पेश हो। दिनांक 16/9/25 आदेश से रीडर	
16/9/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी अप्रार्थी उपस्थित हो पत्रावली ~~रुबरू सुनी गयी बास्ते~~ आदेश दिनांक 9/10/25 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
9/10/2025	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र CPC 9(9) के तहत अदम पैरवी में खारिज वाद पुनः नम्बर पर लाने हेतु पेश किया है, पूर्ववर्ती वाद RTA 1955 की धारा 88 से संबंधित था, उक्त प्रार्थनापत्र में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा द्वारा बहस करते हुए कथन किया गया कि उक्त खारिज वाद 22/02/2016 को खारिज हो गया था जिसकी सूचना प्रार्थी को नहीं हो पायी चूंकि खारिज वाद उपखंड न्यायालय भीलवाडा से ट्रांसफर होकर उपखंड अधिकारी/सहायक कलेक्टर न्यायालय हमीरगढ़ में ट्रांसफर	

फर्द अहकाम

प्रकरण सं०

श्री... बनाम श्री.........................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा
	हुआ था, जिसकी सूचना प्रार्थी को दी जानी चाहिए थी, परन्तु नहीं दी गई। प्रार्थी ने यह भी कथन किया कि प्रार्थी द्वारा 9(9) प्रस्तुत करने में विलंब का मुख्य कारण COVID-19 एवं लॉकडाउन रहा एवं न्यायालय का नहीं लगना एवं अधिवक्ता द्वारा सूचना नहीं देना बताया, साथ ही वाद घोषणा व खातेदारी अधिकारों के सम्बन्ध होने से प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर वाद पुनः नंबर पर लेने हेतु निवेदन किया।	
	अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र Limitation (मियाद) पार होने व देरी के कारण नहीं बताने से खारिज करने का निवेदन किया।	
	परिसीमा अधिनियम, 1963 में उपसंख्याति के व्यतिक्रम के कारण खारिज किए आवेदन/वाद का प्रत्यावर्तन कराने 'तीस दिन' की निर्धारित समय सीमा निश्चित की गई है।	
	परिसीमा अधिनियम की धारा -5 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि यदि किसी प्रकरण में परिसीमा अवधि के पश्चात किसी पक्षकार द्वारा की गई कार्यवाही के साथ देरी के उपशमन के प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते समय प्रकरण के गुणावगुण व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में देरी का पर्याप्त संतोषप्रद कारण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।	
	उक्त प्रार्थना पत्र में विदित है कि न्यायालय द्वारा 10/09/2012 को वाद संस्थित कर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए

दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर दिए गए थे एवं इसके साथ में ही प्रस्तुत RTA-1955 की धारा 21 के अंतर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा भी जारी कर दी गई थी जो भी अदम पैरवी में खारिज कर दी गई थी।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा 9(a) के अंदर व वहल में वाद खारिज होने की दिनांक 22-02-2016 व 9(a) का प्रार्थना पत्र पुनः पेश करने की दिनांक 24-02-2022 कुल दिवस 2194 (दो हजार एक सौ चौरानवे) के संबंध में मात्र अधिवक्ता द्वारा सूचित न करना, न्यायालय से मामला ट्रांसफर होना व कोर्ट का नहीं लगना बताया है। जबकि इस संबंध में सूचना लेना स्वयं वादी/प्रार्थी या उसके अधिवक्ता की जिम्मेदारी होती है।

साथ ही यह भी ध्यान देने लायक है कि वादी द्वारा पेश धारा 80 वाद व 21 प्रार्थना पत्र पेश करने उपरांत उसी समय ही न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी कर दिया गया था परंतु यह स्थगन आदेश दिनांक 17.02.17 को अदम पैरवी में वाद के खारिज होने के बाद खारिज कर दिया गया था, परंतु प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा यह लिखा है कि प्रतिवादी द्वारा 20/12/2021 को भूमि से बेदखल करने की कोशिश की। प्रार्थी द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज होने की दिनांक 17.02.17 से 20/12/2021 (बेदखल करने की कोशिश) के मध्य के बारे में भी पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई है जिसके कारण प्रार्थी द्वारा 9(a) पेश करते

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	विलंब उचित प्रतीत होता हो। इस प्रकार प्रार्थी का करीब 2194 दिवस (30 दिवस परिसीमा किये जाने उपरांत 2164 दिवस) देरी से प्रस्तुत किस अर्थना पत्र में अभिलिखित कारण व परिस्थितियों को देरी के उपशमन के लिए न्यायालय द्वारा अपने विवेक एवं अंतर्निहित शक्तियों के अनुप्रयोग पर लम्बे समय के बाद चुनौति देने हेतू पर्याप्त व संतोषप्रद नहीं मानने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझता हैं। अतः "प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत 9(9) का प्रार्थना पत्र सह परिसीमा अधिनियम की धारा-05 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है"। यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 09.10.25 को लिखा जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।